

फर्द अहकाम

श्रीमती शिवदा देवी वनाम गुलमारी कोट्ट

नाम न्यायालय उपखण्ड अधीक्षक
विसाटनगर (जयपुर)

केस संख्या 4/2010

विविध प्रार्थना शिवमानसा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>पुस धातु 39 Rule-2(2) CPC</p>
06318		<p>अभिभाषक संघ डाटा न्यायिक कार्य एपिसोड 2504 गण। गत आदेश की पालना के दिनांक 034418 को पेश हो।</p>
034418		<p>वकील उपपक्ष उपा। शिवदा सापलात को अवसर प्राप्त वही दिनांक 244418 को पेश हो।</p>
244418		<p>वकुलप्य उपा गत आदेश की पालना के दिनांक 225418 को पेश हो।</p>
22/05/18		<p>प्रकरण राजस्व लोक अदालत में पेश हुआ प्रकरण दिनांक 20/05/18 को दर्ज रजिस्टार होकर आदिनांक तक साक्ष्य सापलात निमित्त चल रहा है, बाए-बाए अवसर दिये जो उपरान्त की साक्ष्य पूर्ण नहीं कराये जाये, साक्ष्य बन्द की जाती है। न्यायालय आदेश दिनांक 11-09-09 द्वारा गैरजायल को को.ख.नं. 476 में निर्माण नहीं करे।</p>

उपखण्ड अधीक्षक
विसाटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधीक्षक
विसाटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधीक्षक
विसाटनगर (जयपुर)



फर्द अहकाम

पीठासीन अधिकारी

बनाम

मुलाम्मदी कौट्ट

सपखण्ड

विराटनगर (जयपुर)

4/20/10

प्राप्त मरमानना

आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

हेतु अंतरिक्ष कडेश के पाखण्ड किया गया है, जिसके संबंध में मौका रिपोर्ट दिनांक 24-04-10 पेश हुई है, जिसमें अरक्षक मौका रिपोर्ट निर्माण कार्य चलू नहीं होगा बताया गया है। गैरसापल ने अपने जवाब में भी निर्माण कार्य नहीं कराया जाना बताया है यह भी कि उपकरण में सापल द्वारा ऐसा कोई इस्तेमाल भी पेश नहीं किया गया है, जिससे यह स्थापित होगा है कि गैरसापल द्वारा न्यायालय कडेश की किसी तरह अवहेलना की हो। अतः दस्तावेज प्रथित पत्र खारिज किया जाता है निर्णय मजदूरी काफ़ सुनाया गया।



MR/118
 पीठासीन अधिकारी
 राजस्व लोक अदालत
 न्याय आपके द्वार-2018
 सपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)